

Ni. 7.3.10,

No. 1]

नहीं विस्ती, अभिवार, अभवरी 7, 1984/पीव 17, 1905 NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984/PAUSA 17, 1985 🧖

इस भाग में भिन्न पट्ट संस्था दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रजा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> जान II---धन्ड 3---चन-धन्ड (i) PART II Section 3 Sub-section (1)

(एका संख्यास्य को छोड़कर) नारंत तरकार के मंत्रानधीं और (तंत्र राज्य क्षेत्र प्रशातनीं को छोड़कर) केन्द्रीय ब्रधिकारियों द्वारा विक्रि के कलार्गत बनाए और कारी किए गए साधारन नियम जिनमें लाबारण प्रकार के प्रावेश, क्यनियम प्रावि लिम्मिलित हैं।

eneral Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गंह मंत्रालय

(कार्सिक और प्रशास्त्रिक नुचार विभाग) नई दिल्ली 20 दिसम्बर, 1983

भ्या•का•नि• 1....गष्ट्रपति, समिक्षान के श्रनुच्छेद 318 के उप-र्वाच्छ (क) द्वारा ब्रथल प्रतिसयों का प्रयोग करते हुए, सम लोक सेवा बाबोग (मदस्य) संबोधन विनियम, 1983 का (फिन्हें इसमें इसके पञ्चातु अक्त विशिधम कहा गया है। संगोधन करने के लिए निस्निलिखिय विनियम बनाते हैं, श्रमीत --

उत्तम विविद्यमी की प्रस्तावना में,

ंगनिसमों का प्रयाग करते हार" शब्दां के पत्रवात ''संब लोक सेवा भायोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन फरने के लिए अच्छ, कोच्छक ग्रांट शक रहें। आसमें।

मात्र चिनियंस, भारतम् के राजधन (१८६५, भाग ३, खण्ड ३, उपखण्ड में अधिमूचना सार्कार्शन सार 2504, तारीण 11-10-1969 द्वारा प्रकाशिन किए गरु पे ।

तत्पम्यात उनमे निम्नमिसिस क्षारा संगोधन किए गए

| अम मं∙ | मा∙का०नि ∘ | म∗ | • | _ | | प्रकाणन की तारीज |
|-----------|---------------|------|---|---|---|--------------------|
| - 1 | सा≄का∘नि० | 1230 | | | - | 6-10-1979 |
| 2 | सा≁काः जि• | 1418 | | | | 1-12-1579 |
| 3 | सा≉का∻नि० | 257 | | | | 8-3-1980 |
| 1 | या ०का ०नि ० | 977 | | | | 27-9-19 8 0 |
| 5 | मा ०का ०नि ० | 831 | | | | 12-9-1981 |
| 'n. | सा०मा०नि० | 388 | | | | 21-5-1983 |
| 7. | मा०का०नि० | 649 | | | | 3-9-1983 |

[फा॰स• 39019/3/82-स्थापमा (**च**)] मंत्रका गुप्ता, निषेकक (**स्वापना**)

स्चना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1983

सा०का०िम० 9.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "क" पद) भर्ती संबोधन नियम, 1983 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आकाणवाणी (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, (1) केन्द्र निदेशक (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित कम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ 7 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :---

"45 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।"

(2) सहायक केन्द्र निदेशक के पद से संबंधित श्रम सं० 2 के सामने, स्तम्भ 7 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :---

"40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।"

टिप्पण: "आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीष्य भारत में रहने वाल अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथां लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी।"

> [सं० 12019/4/83-बी०(ए)] जगमोहन लाल माथुर, अवर सिखब

टिप्पण: आकाणबाणी (समूह "क" पव) भर्ती नियम, 1963 नामक मूल नियम, सा०का०नि० 24, तारीख 23-12-1963 द्वारा प्रकाशित किये गयेथे। तत्पण्चात् निम्नलिखित मंगोधन अधिसूचित किये गयेथे:---

- अधिस्चना सं० 11/8/62-वी (ए), तारीख9-4-1964
- सं 11/11/62-वी(ए),तारीख 18-6-1964
- सं० 5/24/62-कीं(ए), तारीख 31-8-1965
- सं० 11/2/64-बी(ए), तारीख 17-9-1965
- 5. ,, मं॰ 11/2/64-बी(ए), सारीख 27-11-1965 (सा॰का॰नि॰ सं॰ 1820 तारीख 11-12-65)

- अधिसूचना सं 13/7/862-बी (ए), तारीख 30-11-1965
- 7. ,, सं० 5/15/65-बी(ए), तारीख 28-7-1965
- 8. ,, सं॰ 11/8/65-बी(ए), तारींख 9-9-1966
- 9. ,, सं० 5/3/67-**गी**(ए), तारीख 7-10-1967
- 10. "सं॰ 6/107/65-टी॰वी॰,तारीख 3-7-1968 🕳
- 11. ,, सं॰ 11/5/65-की(ए), तारी**ख** 17-9-1968
- 12. ,, सं॰ 7/5/68-बी(ए), तारीख 9-10-1968
- 13 ,, सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 14-11-1968
- 14. ,, सं॰ 17/8/68-बी(ए), तारीख 6-6-1969
- 15. ,, सं० 17/6/68-बी(ए), तारीख 4-6-1969
- 16. ,, सं॰ 11/5/65-बी(ए), तारीख 2-9-1969
- 17. ,, सं० 17/2/69-बी(ए), तारीख 19-11-1969
- 18. ,, मं० 17/1/69-बी(ए), तारीख 23-2-1970
- 19. ,, सं० 17/3/69-बी(ए), तारीख 16-9-1970
- 20. ,, सं॰ 1/2/70-बी(ए), तारीख 18-2-1971
- 21. ,, सं० 5/12/68-बी(ए), तारीख 22-3-1971
- 22 ,, सं० 1/2/71-बी(ए),तारीख 6-12-1971
- 23. ,, सं० 1/2/71-बी(ए), तारीख 10-1-1972
- 24 ,, सं० 1/3/70-बी(ए), तारीख 18-5-1972
- 25. "सं० 1/9/71-बी(ए), तारीख 6-6-1972
- 26. ₍₍₎ सं॰ 5/12/68-बी(ए),तारीख 13-6-1972
- 27. ,, सं० 1/6/71-बी(ए), तारीख 30-9-1972
- 28. ,, सं० 1/6/71-बी(ए), तारीख 6-12-1972
- 29. ,, सं॰ 1/6/71-बी(ए), तारीख 30-9-1972
- 30. ,, सं० 5/39/70-टीबी, तारीख 3-1-1973
- 31. ,, सं॰ 1/4/73-बी(ए),तारीख 2-6-1973
- 32. ,, सं॰ 1/10/71-बी(ए), तारीख 10-9-1973
- 33. ,, सं॰ 1/2/73-बी(ए), तारीख 29-9-1973
- 34. .,, सं॰ 1/2/72-बी(ए),तारीख 26-10-1974 (सा॰का॰नि॰ सं॰ 1195, तारीख 9-11-1974)
- 35. ,, सं० 5/33/70-बो(ए), तारीख 30-10-1974 (सा०का०नि०सं० 1220, 16-11-74)
- 36. ,, सं॰ 1/18/73-बी(ए), तारीख 18-11-1974
- 37. .. सं॰ 5/17/74-बी(ए), तारीख 13-2-1975 (सा॰का॰नि॰सं॰ 267, तारीख 22-2-75):
- · 38. ,, सं० 5/66/73-टी वी, तारीख 5-4-1975
 - 39. ,, सं० 1/1/71-मी(ए), तारीख 30-6-1975 (सा॰का॰नि॰सं॰ 895, 19-7-75)
- 40. ,, स॰ 1/3/75-बी(ए), तारीख 19-12-1975

- 41. अधिसूचना सं॰ 1/8/75-बी(ए), तारीख 20-2-1976
- 42. " सं० 5/14/75-बी(ए), तारीख 23-3-1976
- 44. " सं॰ 1/1/73-बी(ए), तारीख 19-7-1976
- 45. ,, सं० 12018/5/76-बी(ए),तारीख 16-8-1977 (सा०का०नि० मं० 1184, तारीख 10-9-77)
 - 46. ,, सं 12019/7/77-बी(ए),तारीख 15-9-1977 (साल्कालील सं 1358, तारीख 8-10-1977)

 - 48. ,, मं॰ 12018/4/75-वी(ए), तारीख 20-2-1978
 - 49. ,, सं॰ 12018/5/76-बी(ए), तारीख 5-5-1978
 - 50. ,, सं० 12019/8/78-बी(ए), तारीख 26-12-1978 (सा॰का॰नि॰सं० 94, तारीख 20-1-1979)
 - 51. ,, सं॰ 12018/5/76-बी(ए), तारीख 18-4-1978
 - 52. ,, सं॰ 12018/1/76-वी(ए), तारीख 18-7-1978
 - 53. , सं 12018/5/76-बी (ए), तारीख 1-11-1980
 - 54. " सं॰ 12019/9/77-बी(ए), नारीख 9-1-1981
 - 55. " मं॰ 12024/13/76-बी(ए), तारीख 8-7-1981
 - (सा०का०नि०सं० 722, तारीख 1-8-1981)
 - 56. " सं॰ 12019/1/81-बी (ए), तारीख 26-9-1981
 - 57. ,, सं 12018/1/81-बी(ए), तारीख 31-8-1981 (सा॰का॰नि॰सं॰ 860, तारीख 19-9-1981)
 - 58. ,, सं॰ 12018/4/76-बी(ए), तारीख 21-7-1982
 - 59. ,, सं 12019/1/71-बी(ए), तारीख 1-3-1983

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 20th December, 1983

- G.S.R. 9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules 1963, namely:
 - 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment (2nd Amendment Rules 1983.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules 1963, (i) against serial number relating to the post of Station Director (Ordinary Grade), for the entry under column 7, the following entry shall be substituted namely:—
 - "Not exceeding 45 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)."

- (ii) Against serial number 2 relating to the post of Assistant Station Director for entry under column 7, the following entry shall be substituted, namely:—
 - "Not exceeding 40 years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government."
- Note.—'The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Adaman & Nicobar Islands and Lakshadeep)."

[No. 12019/4/83-B(A)] J. L. MATHUR, Under Secy.

- Note.—The Principal Rules called the All India Radio (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1963, were notified vide GSR No. 24, dated 23-12-1963. Subsequently the following amendments were notified:—
- 1. Notification No. 11-8-62-B(A), dated 9-4-1964.
- 2. " No. 11/11/62-B(A), dated 18-6-1964.
- 3. ,, 5/24/62-B(A), dated 31-8-1965.
- 4. ,, No. 11/2/64-B(A), dated 17-9-1965.
- 5. ,, No 11/2/64-B (A), dated 27-11-1965 (GSR No. 1820, dt. 11-12-65).
- 6. " No. 13/78/62-B(A), dated 30-11-1965.
- 7. " No. 5/15/65-B(A), dated 28-7-1965.
- 8. " No. 11/8/65-B(A), dated 9-9-1966.
- 9. .. No. 5/3/67-B(A), dated 7-10-1967.
- 10. , No. 6/107/76-TV, dated 3-7-1968.
- 11. " No. 11/5/65-B(A), dated 13-9-1968.
- 12. , No. 7/5/68-B(A), dated 9-10-1968.
- 13. ,, No. 5/12/68-A(B), dated 14-11-1968.
- 14. ,, No. 17/8/68-B(A), dated 6-6-1969.
- 15. , No. 17/6/68-B(A), dated 4-6-1969.
- 16. , No. 11/5/65-B(A), dated 2-9-1969,
- 17. " No. 17/2/69-B(A), dated 19-11-1969.
- 18. , No. 17/1/69-B(A), dated 23-2-1970.
- 19. .. No. 17/3/69-B(A), dated 16-9-1970,
- 20. " No. 1/2/70-B(A), dated 18-2-1971. 21. " No. 5/12/68-B(A), dated 22-3-1971.
- 22. ,, No. 1/2/71-B(A), dated 6-12-1971.
- 23. No. 1/2/71-B(A), dated 10-1-1972.
- 24. " No. 1/3/70-B(A), dated 18-5-1972.
- 25, ... No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972.
- 26. ,, No. 5/12/68-B(A), dated 13-6-1972.
- 27. No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
- 28. , No. 1/6/70-B(A), dated 6-12-1972.
- 29. " No. 1/6/71-B(A), dated 30-9-1972.
- 30. " No. 5/39/70-TV, dated 3-1-1973.
- 31. .. No. 1/4/73-B(A), dated 2-6-1973.
 32. ., No. 1/10/71-B(A), dated 10-9-1973.
- 33 No. 1/3/73 D(A) Jured 30 () 1073
- 33. ,, No. 1/2/73-B(A), dated 29-9-1973.
- 34. .. No. 1/2/72-B(A), dated 26-10-74. (GSR No. 1195, dt. 9-11-74).
- 35. ,, No. 5/33/70-B(A), dated 30-10-1974 (GSR No. 1220, dt. 16-11-74).
- 36. ,, No. 1/18/73-B(A), dated 18-11-1974.
- 37. , No. 5/17/74-B(A), dated 13-2-1975 (GSR No. 267, dt. 22-2-75).
- 38. ,, No. 5/66/73-TV, dated 5-4-1975.

| 39. | Notification | No. 1/1/71-B(A), dated 30-6-1975 |
|-----|---|--|
| | | (GSR No. 895, dt. 19-7-75). |
| 40. | 17 | No. 1/3/75-B(A), dated 19-12-1975. |
| 41. | 11 | No. 1/8/75-B(A), dated 20-2-1976. |
| 42. | ** | No. 5/14/75-B(A), dated 23-3-1976. |
| 43. | ** | No. 5/10/76-B(A), dated 7-5-1976. |
| 44. | ** | No. 1/1/73-B(A), dated 19-7-1976. |
| 45. | 1) | No. 12018/5/76-B(A), dated 16-8-1977 |
| | | (GSR No. 1184, dt. 10-9-77). |
| 46. | •• | No. 12019/7,77-B(A), dated 15-9-1977 |
| | | (GSR No. 1358, dt. 8-10-77). |
| 47. | | No. 12018/5/76-B(A), dated 15-12-1977. |
| 48. | • | No. 12018/4/76-B(A), dated 20-2-1978. |
| 49. | ** | No. 12018/5:76-B(A), dated 5-5-1978. |
| 50. | | No. 12019/8/78-B(A), dated 26-12-1978 |
| | | (GSR No. 94, di. 20-1-79). |
| 5l. | . ,, | No. 12018/5/76-B(A), dated 18-4-1978. |
| 52. | • | No. 12018/1/76-B(A), dated 18-7-1980. |
| 53. | . 11 | No. 12018/5/76-B(A), dated 1-11-1980. |
| 54. | • 15 | No. 12019/9/77-B(A), dated 9-1-1981. |
| 55 | - 11 | No. 12024/13/76-B(A), dated 8-7-1981 |
| | | (GSR No. 722, dt. 1-8-81). |
| 56 | . 11 | No. 12019/1/81-B(A), dated 26-9-1981. |
| 57 | . ,, | No. 12018/1/81-B(A), dated 31-8-1981 |
| | | (GSR No. 860, dt. 19-9-81). |
| 58 | | No. 12018/4/76-B(A), dated 21-7-1982. |
| 59 | ' 31 | No. 12019/1/81-B(A), dated 1-3-1983. |
| | | |

पर्यटन बौर नागर विमानन मंत्रालय

नई विल्ली, 🙂 दिसम्बर, 1983

साजकार्यन । 0. — राष्ट्रपति, सबिधान के प्रमुच्छेब 309 के परन्तुक द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग), भारत सरकार पर्यटक कार्यालय (समृह "गं) भर्ती नियम, 1973 का छीर मंगोधन बरने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं. श्रेषीन् —

- ग. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यटन श्रीर नागर विमानन मंक्षालय (पर्यटन विभाग), भारत सरकार पर्यटक कार्यालय (समृह् 'ग" पद) भर्ती (संगोधन) नियम, 1983 है।
 - (2) ये राजपत में प्रकाशम की नारीख को प्रथम होंगे।
- 2. पर्यटन श्रार नागर विभागन महालय (पर्यटन विभाग) (समृह "ग" पद) भर्ती नियम, 1973 की श्रनुमूची में त्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर "फिल्म प्रोजेक्टर आपरेटर" रखा जाएगा झार स्तम्भ 9 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखिय प्रविष्टि रखी जाएगी, श्रथांत्---

''भाग्, नहीं गीक्षिक महेमाए : हों'

| फा॰म० ए॰⇒12024/1/83-प्रणासन-1|

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 2nd December, 1983

G.S.R. 10.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism)

- rism) Tourist Offices of the Government of India, (Group C) Recruitment Rules, 1983, namely :-
- 1. (!) These rules may be called Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of the Government of India, (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1973, against serial number 1 relating to the post of Film Projector Operator, in column 9, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Age : No Educational : Yes."

Qualification

[File No. A-12024(1)/83-Admn.]]

साश्कार्शनरु 11 :-- राष्ट्रपति, संविधान के धनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवक्त प्राथितयों का प्रयोग करते हुए, पर्यटन भीर नागर विमानन मन्नालय (पर्यटन विभाग) भारत सरकार पर्यटक कार्यावय (समूह गं) भर्ती नियम, 1973 का ग्रीर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रर्थात् .---

- (1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम पर्यटन ग्रांर नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग), भारत सरकार पर्यटक कार्यालय (समूह भाष्ट्र) भर्ती (संगोधन) नियम, 1983 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।
- 2 पर्यटन श्रीर नागर विमानन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) (समूह गे पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुमूची में क्रम मं० 1 के मामने, स्तस्भ 2 में की प्रविद्धि के स्थान पर "फिल्म प्रोजेक्टर आपरेटर" रखा जाएगा श्रीर स्तस्भ 9 में की प्रविद्धि के स्थान पर निम्निक्षित प्रविद्धि रखी जाएगी. श्रथीह् :~~

''धायु . नहीं

णैक्षिक अहेगाएं। : हा"

[फाईल सं० ए० 12024/1/83-प्रशासन I] फी०मी० णर्मा, श्रवर सचिव

- G.S.R. 11.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of the Government of India, (Group 'C') Recruitment Rules, 1973, namely:
- 1. (1) These rules may be called Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) Tourist Offices of the Government of India, (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1983.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Department of Tourism) (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1973, against serial number 1 relating to